न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्याः— 09/2013
प्रविष्टि दिनांकः— 30.01.2013

सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा

..... प्रार्थी

बनाम

नाग्या पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी चौसला तहसील मालपुरा जिला टोंक

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः—(1) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक

अभिशंषा

दिनांक 07.12.2017

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 891 रकबा 90 बीघा वाके ग्राम चौसला तहसील मालपुरा जो गे0मु0 तालाब है में से रकबा 1.105 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 891/3 का आवण्टन/नियमन अप्रार्थी नाग्या पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी चौसला तहसील मालपुरा को दिनांक 23—08—77 को किया गया है तथा उक्त आवण्टन/नियमन के आधार पर विवादित भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 294 एवं खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 58 से आवण्टी के हक में अमल राजस्व रिकार्ड में किया गया है। चूंकि उक्त भूमि खतौनी भूप्रबन्ध जमाबन्दी सं0 2010—29 में गै0मु0 तालाब दर्ज थी। अतः उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित होने से आवण्टन योग्य नहीं है। ऐसी भूमियों को पूर्ववत रखे जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने डी0बी0सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में निर्णय दिनांक 2.08.2004 में भी उल्लेख किया है तथा उक्त निर्णय की पालना में यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। तहसीलदार मालपुरा ने निवेदन किया है कि उक्त आवण्टन आदेश व उसकी पालना में भरा गया गैर खातेदारी व खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 294, 58 निरस्त करने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीा की तलबी की गई। अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व कार्यवाही एकतरफा की गई। बहस राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 891 रकबा 90 बीघा वाके ग्राम चौसला तहसील मालपुरा में से 1.10 बीघा हाल खसरा नं0 891/3 का अप्रार्थी नाग्या पुत्र बजरंगा जाट निवासी चौसला तहसील मालपुरा को दिनांक 23—08—77 को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आवण्टन/नियमन किया है जबकि विवादित भूमि गै0मु0 तालाब है जो जमाबन्दी खतौनी भूप्रबन्ध सं0 2010–29 से प्रकट है। विवादित भूमि कि किस्म परिवर्तन का अधिकार आवण्टन सलाहकार समिति को नहीं है। चूंकि भूमि की किस्म गै0मु0 तालाब है। नदी, नाले, तालाबो (प्राकृतिक स्त्रोतो) की भूमि जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है वह आवण्टन योग्य नहीं है। इन भूमियों पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.08.04 में ऐसी भूमियों की जो खातेदारियां दी गई है, पूर्ववत स्थिति में किये जाने का निर्णय पारित किया है तथा उक्त निर्णय की अनुपालना में ही प्रार्थी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवण्टन/नियमन आदेश व उसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण संख्या 294, 58 से अप्रार्थी नाग्या पुत्र बजरंगा जाट के हक में विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है को निरस्त करवाये जाने हेतु यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

4. हमने राजकीय अभिभाषक की बहस को सुना एवं मनन किया। अप्रार्थी नाग्या पुत्र बजरंगा जाट निवासी चौसला तहसील मालपुरा को विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 891 रकबा 90 बीघा वाके ग्राम चौसला तहसील मालपुरा में से रकबा 1.10 बीघा भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 891/3 की किस्म चाही–ए में परिवर्तन कर दिनांक 23.08.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टन/नियमन किया गया है। पत्रावली पर प्रस्तुत खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी संवत 2010–29 के अनुसार विवादित भूमि गै0मु0 तालाब दर्ज है। विवादित भूमि कि किस्म परिवर्तन का अधिकार आवण्टन सलाहकार समिति को नहीं है। नदी, नाले, तालाब आदि की भूमियां राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है तथा इन भूमियों में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। माननीय उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 निर्णय दिनांक 2.08.04 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में यह धारित किया है कि प्रकरण में दिये गये अंतरिम निर्णय की पालना में गठित समिति की अनुशंषानुसार कार्यवाही की जावे। समिति द्वारा अनुशंषा की गई, अनुशंषा में अनुशंषा निम्न प्रकार है "All Land Shown as drainage channels Like nala, rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 Should be declared as Govt. land any conversion made after should be declared illegal. The relevant act must be amended accordingly." इसकी पालना के निर्देशो के तहत तहसीलदार मालपुरा ने यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय उपरोक्त विवेचनों के अनुसार यह पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में किया गया आवण्टन/नियमन एवं उसकी पालना में खोला गया नामान्तरकरण नियमानुकूल नहीं है। अतः ऐसे आवण्टन जो प्रारम्भ से ही शून्य है उसके आधार पर प्राप्त खातेदारी अधिकार कायम रखे जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

5. अतः मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी नाग्या पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी चौसला तहसील मालपुरा को विवादित भूमि खसरा नंबर 891 रकबा 90 बीघा वाके ग्राम चौसला तहसील मालपुरा में से रकबा 1.05 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 891/3 का दिनांक 23.08.1977 को किया गया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

आवण्टन/नियमन एवं उसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण संख्या 294 एवं 58 वाके ग्राम चौसला तहसील मालपुरा को निरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान करे।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक